

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (1)() अनु.छा./सान्याअवि/22/ 17654

जयपुर, दिनांक: 12/10/2022

आदेश

सहायक निदेशक, सान्याअवि दौसा तथा सहायक निदेशक, सान्याअवि करौली से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर निम्न संस्थाओं को राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 25 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुदानित छात्रावास संचालन की मान्यता एतद्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. स.	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	श्रेणी	छात्र/ छात्रा	स्वीकृत संख्या
1.	जय श्री भीनेश शिक्षण संस्थान, गुमानपुरा तह सिकराय जिला-दौसा	कपिल नगर दौसा	अनुसूचित जनजाति	छात्र	25
2.	शिव शक्ति ग्रामीण विकास समिति पांचना कॉलोनी करौली	पंचायत समिति मुख्यालय मासलपुर	अनुसूचित जाति	छात्र	25

उक्त छात्रावासों का संचालन राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 4 के दिन्दू संख्या 5 के अनुसार आने वाले जुलाई माह से ही छात्रावास को प्रारम्भ किया जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर दिनांक: 12/10/2022

क्रमांक: एफ 7 (1)() अनु.छा./सान्याअवि/22/ 17655-17675

प्रतिलिपी : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राज, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, दौसा/करौली।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा/करौली।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, दौसा/करौली।
10. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दौसा/करौली को भेजकर लेख है कि नियमानुसार छात्रावास का संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि ये उक्त आदेश को छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर शामिल करे।
12. सचिव, जय श्री भीनेश छात्रावास कपिल नगर दौसा/सचिव, शिव शक्ति ग्रामीण विकास समिति पांचना कॉलोनी करौली को भेजकर लेख है कि नियमानुसार छात्रावास का संचालन किया जाना सुनिश्चित करे।
14. आदेश पत्रावली।

(प्रहलाद सहाय नागा)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)